

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 347]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 अगस्त 2021—भाद्र 3, शक 1943

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2021

क्र. 2353-2008-2020-पचास-2.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति, 2020, जो भारत के संविधान, विभिन्न बाल केन्द्रित घरेलू कानूनों, भारत सरकार द्वारा अंगीकृत अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मानकों के तहत प्रदान किये गए सुरक्षा उपायों की नींव पर आधारित है, को मध्यप्रदेश राज्य के लिए प्रभावशील घोषित/अंगीकृत करता है। यह बाल संरक्षण नीति तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि इस नीति को निरसित या संशोधित न कर दिया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, उपसचिव।